



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26]

नई दिल्ली, जून 25—जुलाई 1, 2017, शनिवार/आषाढ़ 4—आषाढ़ 10, 1939

No. 26]

NEW DELHI, JUNE 25—JULY 1, 2017, SATURDAY/ASADHA 4—ASADHA 10, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

का.आ. 1504.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप इन, कार्यालयों को एतद्वारा अधिसूचित करती है:-

## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

1. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), संयुक्त अस्पताल, केरिपु बल, नागपुर (महाराष्ट्र)
2. कार्यालय प्राचार्य, केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, केरिपु बल, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

## सशस्त्र सीमा बल

1. कार्यालय महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय पटना, सशस्त्र सीमा बल, अशीना नगर, जिला-पटना (बिहार) पिन-800025
2. कार्यालय महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) पिन-263645

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

**का.आ. 1577.**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

राज्य	जिला
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा

[सं. एस-38013/11/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 27th June, 2017

**S.O. 1577.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas (including already implemented areas) in the State of Tripura namely :—

State	District
Tripura	West Tripura

[No. S-38013/11/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

**का.आ. 1578.**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्रम सं.	राज्य	जिला	राजस्व केन्द्र
1.	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	धरमानगर म्यूनिसिपल काउंसिल
2.	त्रिपुरा	सिपाहीजाला	विसालगढ़ सब-डिविजन
3.	त्रिपुरा	धलाई	अमबासा म्यूनिसिपल काउंसिल
4.	त्रिपुरा	गोमाती	उदयपुर म्यूनिसिपल काउंसिल

[सं. एस-38013/11/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 27th June, 2017

**S.O. 1578.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

Sl. No.	State	District	All the areas falling under
1.	Tripura	North Tripura	Dharmanagar Municipal Council
2.	Tripura	Sipahijala	Bishlgarh Sub-Division
3.	Tripura	Dhalai	Ambassa Municipal Council
4.	Tripura	Gomati	Udaipur Municipal Council

[No. S-38013/11/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.